

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13/स्था0-02-27/2025/

पटना/दिनांक -

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहारशरीफ के पत्रांक-312 दिनांक-19.01.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रीमती सुधा कुमारी, नवनियुक्त कनीय अभियंता (असै0), (समेकित सीरियल नं0 9980), आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, नालंदा, बिहारशरीफ के द्वितीय संतान के जन्म हेतु दिनांक-05.09.2025 से दिनांक-03.03.2026 तक (कुल 180 दिन) के अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-9889 दिनांक-01.12.2015 में निहित प्रावधानों के तहत मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- नियंत्रि पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालंदा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहारशरीफ के पत्रांक-312 दिनांक-19.01.2026 के क्रम में/अधीक्षण अभियंता, रूपांकण, आयोजन एवं मोनिटरिंग, नालंदा, बिहारशरीफ/कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, नालंदा, बिहारशरीफ/श्रीमती सुधा कुमारी, नवनियुक्त कनीय अभियंता (असै0), आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, नालंदा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 1003

पटना/दिनांक - 18/1/26

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, बिहार, पटना को संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।